न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 129/2022 **दायर दिनांक: 14.12.2022**

उनवान

1. नैनसिंह पि. रूघनाथसिंह जाति सोंधिया राजपूत नि. कल्याणपुरा तहसील पिडावा
2. तेजसिंह पि. रूघनाथसिंह जाति सोंधिया राजपूत नि. कल्याणपुरा तहसील पिडावा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पि. देवा जाति बलाई नि. कल्याणपुरा तहसील पिडावा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– विद्वान अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह

अप्रार्थी :– एकतरफा

निर्णय

दिनाक: 23.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम कल्यागणपुरा प.ह. शेरपुर तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नंबर 122 रकबा 0.6323 हे व खसरा नं. 123 रकबा 0.5817 हे० प्रार्थीगण के नाम खाते दर्ज होकर उनके कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी खाता सम्वत् 2074–2077 पेश है। यह कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 122, 123 पर जाने आने का रास्ता ग्राम कल्याणपुरा से पिडावा आम सडक से अप्रार्थी के ख.नं. 120, 121 की उत्तरी मेड पर होकर है। प्रार्थीगण इसी रास्ते पर होकर निकलते रहे है परन्तु अप्रार्थी अब निकलने से रोकता है और उसने रास्ता बंद कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर जाने आने का रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के [illegible] में प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.27 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] अप्रार्थी के रास्ता रोकने से भी प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने–आने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने आने के लिए 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग में लाया जा सके। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले निर्धारित (नियमानुसार) राशि भुगतान करने के लिए तत्पर है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी व कानूनगो से कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी, इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कल्यागणपुरा प.ह. शेरपुर तहसील पिडावा की आराजी खसरा नंबर 122 रकबा 0.6323 है. व खसरा नं. 123 रकबा 0.5817 हे0 पर जाने आने का रास्ता 12 फिट चौडाई का ग्राम कल्यागणपुरा प.ह.शेरपुर की आजी खसरा नं. 120, 121 जो अप्रार्थी के के नाम खाते दर्ज है की उत्तरी मेढ़ पर होकर स्वीकृत किया जाकर रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 06.09.2024 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. पैरोकार सरकार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/401 दिनांक 24.10.2024 मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा के न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के सम्दर्भ में ग्राम कल्यानपुर के ख.नं. [illegible] 123 का मौका देखा गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ख.नं. 122 [illegible] है व ख.नं. 123 रकबा 0.5817 है. आराजी भूमि खातेदार [illegible] नाथसिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.27 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तैजसिंह पि रूघनाथसिंह जाति सौंधिया राजपूत के नाम दर्ज है। उक्त खसरा भूमि के लगवा ख.न. 120 व ख.न 121 की उत्तरी मेड से रास्ता चाहता है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड रास्ता दर्ज नहीं है। खन: 122 व ख.न. 123 में जाने हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। उपस्थित ग्राम वासियान ने बताया कि प्रार्थी व उसके लगवा अन्य पडौसी खातेदार अपने खसरा भूमि तक जाने हेतु ख.न. 118 का आने जाने में उपयोग करते रहे है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जबकि प्रार्थी अपने ख.नं. भूमि तक जाने हेतु ख.नं. 122 व ख.न. 120 की उत्तरी मेड से 12 फीट चौडा व लगभग 215 फीट लम्बा स्थायी रास्ता चाहता है। परन्तु अप्रार्थी अपने आराजी भूमि से रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है एवं नजरी नक्शा संलग्न है।

4. प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम कल्याणपुरा के खाता सं. 62, 22 की जमाबंदी सं. 2074–77 की नकल, नक्शा ट्रेस दिनांक 29.11.2022 एवं खसरा नक्शा दिनांक 08.12.2022 की प्रस्तुत की।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम कल्याणपुरा स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 122 एवं 123 किता 2 तक आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण एवं आगे के अन्य खातेदारान वर्षो से अपनी आराजी पर कल्याणपुरा मुख्य सडक से अप्रार्थी की भूमि ख.नं. 120 व 121 की उत्तरी मेड से होकर आते जाते रहे है लेकिन कुछ वर्षो से अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को अपने खाते की आराजी बताकर बंद कर दिया है और प्रार्थीगण को निकलने नहीं दे रहा है। प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक मार्ग कच्चा/पक्का उपलब्ध नहीं है। विगत 2 वर्षो से प्रार्थीगण दूर होकर किसी अन्य खातेदार के खेत में होकर व्यक्तिगत निवेदन पर बड़ी मुश्किल से गुजर रहे है। प्रार्थीगण किसान है और आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि है। यदि प्रार्थीगण को उसकी आराजी पर पहूँच हेतु रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थीगण की भूमि पडत रह जावेगी जिससे परिवार को भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.27 16:17:28 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
डग, जिला झालावाड़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी डग जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को उसकी भूमि की नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

6. अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना जरूरी है:–

(i) <u>रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u> – तहसीलदार पिडावा की रास्ते बावत् तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024, ग्राम कल्याणपुरा के ख.नं. 120, 121, 122, 123 आदि की जमाबंदी सं. 2074–77, नजरी नक्शा दिनांक 23.11.2022, तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश ग्राम कल्याणपुरा का नजरी नक्शा दिनांक 17.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 122 व 123 तक पहूँच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण कुछ समय से व्यक्तिगत निवेदन पर बडी मुश्किल से व्यवस्तार्थ किसी अन्य खातेदार के खेत से फसल बोना जाहिर होता है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– ग्राम कल्याणपुरा की आराजी ख.नं. 122 व 123 की जमाबंदी सं. 2074–77 के अवलोकन से जाहिर है कि प्राथीगण हिस्सा 1/2–1/2 के रिकार्डेड सहखातेदार है अर्थात प्रार्थीगण एक खातेदार टीनेन्ट है। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि उक्त आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता नहीं है और जो रास्ता ख.नं. 120 व 121 की उत्तरी मेड पर होकर बना है उसे अप्रार्थी द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे खेत पर विभिन्न कार्यो हेतु कृषि उपकरण लाने ले जाने व स्वयं के आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से खेत के पडत रहने की संभावना होती है। प्रार्थीगण ने स्वयं कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद किये जाने के बाद वे अन्य काश्तकारो से निवेदन कर ब[illegible] से खेत को बो रहे है। तहसीलदार पिडावा ने भी [illegible] है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है [illegible] कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.27 16:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

4

Scanned with OKEN Scanner

कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। ग्राम कल्याणपुरा के राजस्व नक्शे, वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन से भी साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी रास्ता या वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। **अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।**

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होना:— प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु सबसे लघुत्तम रास्ता ख.नं. 120 व 121 की उत्तरी मेड पर होकर आता है। तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के अनुसार भी लघुत्तम रास्ता ख.नं. 120 व 121 की उत्तरी मेड के सहारे होगा जिसकी लम्बाई लगभग 215 फीट है। ग्राम कल्याणपुरा के ख.नं. 120, 121, 122, 123 आदि की जमाबंदी सं. 2074—77, नजरी नक्शा दिनांक 23.11.2022, तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश ग्राम कल्याणपुरा का नजरी नक्शा दिनांक 17.10.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 122 व 123 पर पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 120 व 121 की उत्तरी मेड से होकर होगा जिसकी लम्बाई लगभग 215 फीट है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन लघुत्तम पहूँच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम पहूँच मार्ग साबित होता है।

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान:—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख0नं0 122 व 123 तक पहुंच हेतु अप्रार्थी की आने वाली भूमि रकबा 2580 वर्ग फीट यानि 0.0240 है. का [illegible] दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.27 15:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

7. पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 24.10.2024 के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 122 व 123 तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 120 व 121 की उत्तरी मेड पर होकर होगा जिसकी लम्बाई 215 फीट है। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडे रास्ते का अनुतोष चाहा है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते का न्यूनतम क्षेत्रफल 12 गुणा 215 यानि 2580 वर्ग फीट यानि 0.0240 है. होगा।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण तथा तहसीलदार पिडावा की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 24.10.2024 के अनुसार ग्राम कल्याणपुरा की प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थी की आराजी ख0नं0 120 व 121 की उत्तरी मेड से होकर नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम कल्याणपुरा की आराजी ख0नं0 120 व 121 की उत्तरी मेड से होकर प्रार्थीगण के ख.नं. 123 व 122 तक पहूँच हेतु 12 फीट चौडा एवं 215 फीट लम्बा यानि 2580 वर्ग फीट यानि 0.0240 है. भूमि नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.27 15:17:28 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner